

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****OA NO. 724 OF 2023****IN THE MATTER OF:****BITTU****.....APPLICANT****VERSUS****STATE OF U.P. & ORS****.....RESPONDENT(s)****INDEX**

S.NO	PARTICULARS	PG. NO
1.	FURTHER RESPONSE TO SHOW CAUSE NOTICE ON BEHALF OF ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 18.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI.	
2.	A COPY OF THE LETTER DT. 10.02.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1.	
3.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	
4.	A COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICE DT. 06.03.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3.	

5.	A COPY OF THE NOTICE DT. 16.03.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4.	
6.	A COPY OF THE MOM DT. 04.02.2026 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5.	
7.	COPIES OF THE PHOTOGRAPHS TAKEN DURING THE JOINT INSPECTION HAVE BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6.	

THROUGH COUNSEL




BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

PHONE NO.-6375115224

DATE: - 18.03.2026

PLACE: - NOIDA



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 724 OF 2023

IN THE MATTER OF:

BITTU

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

..... RESPONDENT(S)

FURTHER RESPONSE TO SHOW CAUSE NOTICE ON BEHALF OF
ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN
COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 18.02.2026 PASSED BY THE
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Saurabh Bhatt.. aged about 33 years S/o Shiv Kumar Sharma, presently posted as Additional District Magistrate (F/R) Ghaziabad do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

§




2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That it is submitted that vide order dated **29.01.2026**, this Hon'ble Tribunal was issued show cause notice to the Deponent. That the Deponent had earlier filed reply dated **17.02.2026**. However, vide order dated **18.02.2026**, this Hon'ble Tribunal observed that the earlier reply did not specifically explain the aspect relating to the alleged suppression of material facts regarding the incident of illegal mining from river Yamuna by use of JCB. The relevant portion of the order is reproduced herein for ready reference:

"9. Vide order dated 29.01.2026, notices were ordered to be issued to the District Mining Officer, Ghaziabad and the Additional District Magistrate

(F&R) Ghaziabad requiring them to show-cause as to why appropriate orders be not passed against them by this Tribunal for suppression of material facts regarding incident of illegal mining from River Yamuna by use of JCB in show-cause notice and penalty order as mentioned in the order dated 29.01.2026.

10. The District Mining Officer, Ghaziabad and the Additional District Magistrate (F&R) Ghaziabad have filed replies dated 17.02.2026 but in their



§


replies, they have not given any explanation with respect to the aspect of suppression of material facts regarding incident of illegal mining from River Yamuna by use of JCB in show-cause notice and penalty order as mentioned in the order dated 29.01.2026.”

4. That at the outset, the Deponent most respectfully submit that there has been **no suppression of any material facts** before this Hon'ble Tribunal. The Deponent holds this Hon'ble Tribunal in the highest esteem and respect and most humbly tender unconditional apology if any omission or lack of clarity in the earlier reply may have given an impression otherwise. The **omission**, if any, was purely inadvertent and not deliberate.

5. That the notice dated **21.01.2026** was issued by the deponent as per report presented before the Deponent by the office of Mines Officer, Ghaziabad as per material available on the record at that time.

I. REGARDING ALLEGATION OF MINING WITHIN RIVER CHANNEL/ STREAM


6. That in this regard, it is most respectfully submitted that in order to ascertain the factual position relating to the said video clip recorded on **02.01.2026** at **time 10:09PM**, re-verification was done by the office of Deponent as a **letter**

dated 07.02.2026 was issued by the Mining Officer, Ghaziabad to the Applicant seeking clarification regarding the circumstances in which the said video was recorded and what exactly was observed at the site.

(A Copy of the letter dt. 07.02.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**)

7. That in response to the said letter, the Applicant himself vide letter dated 10.02.2026 clarified that the said video was supplied to him by a third person and the intent was to highlight that **loading activity was taking place during night time**, allegedly in violation of the environmental clearance conditions, and that the machine visible in the video was **loading material from a pit and not from the active river stream/channel.**



(A Copy of the letter dt. 10.02.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**)

8. It is further respectfully submitted that the portion of the video where the JCB machine appears to be loading material from an area containing water appears to be **within the lease area where pits had already been created due to**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line through it.

mining activities, and not from the **active river stream/channel of River Yamuna.**


9. That the water visible in the said pit is **seepage water**, which had accumulated in the excavated pits within the lease area. That such seepage water accumulation in mined pits is a natural occurrence. That the water visible in the video also appears to be **stagnant**, which is evident from the video itself placed on record by the Applicant and is inconsistent with the characteristics of a **flowing river stream.**

II. INSPECTION DT. 08.02.2026

10. That Mines Officer, Ghaziabad inspected the said area on **08.02.2026** and found the mining operation to be completely closed.

A Copy of the inspection report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

11. That during the inspection, similar conditions were observed wherein pits within the lease area were found containing **stagnant seepage water.**




A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a vertical line extending upwards and a horizontal line extending to the right.

12. The inspection report dated **08.02.2026** further indicated that excavation may have been carried out in the pit **even after water had accumulated in it**, allegedly by use of a **JCB machine**. That such activity, if established, would amount to violation of the Rule 42 (h) of the **Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021**. That Rule 42 (h) states as under:

*“Rule 42(h)(1): The lessee shall not do any mining operation beyond the depth of **three meters or water level** whichever is less in the river bed and no mining shall be carried out in the safety zone so worked out by the District Officer: Provided no mining shall be carried out into the water stream with the help of suction machine or the lifter etc.”*

III. ISSUANCE OF SHOW CAUSE NOTICE

13. That it is submitted that in view of the findings during the inspection dt. 08.02.2026, a **show cause notice dated 06.03.2026** was issued to the Project Proponent by the Deponent, Ghaziabad regarding violation of **Rule 42(h)** in the said mining lease area. That the said notice required the lease holder to submit an explanation within **07 days** as to why a penalty of **Rs. 5,00,000/-** should not be imposed under **Rule 60 of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021**.



§

A Copy of the show cause notice dt. 06.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

IV. **REMINDER NOTICE**


14. That as no reply was received from the lease holder within the stipulated period, a **reminder notice dated 16.03.2026** has been issued by Mines Officer, Ghaziabad directing the lease holder to submit the explanation immediately.

A Copy of the notice dt. 16.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

V. **MONITORING BY DISTRICT TASK FORCE**

15. That it is submitted that mining activities in the district are regularly monitored through the **District Task Force (DTF)** constituted for this purpose.

16. That a meeting of the **District Task Force was held on 04.02.2026**, and the minutes of the meeting are annexed herewith. That another meeting of the



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal line at the bottom.

District Task Force was held on 11.03.2026, and the minutes of the said meeting are awaited.


A Copy of the MOM dt. 04.02.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-6**.

VI. **JOINT INSPECTION CONDUCTED ON 10.03.2026**

17. That it is pertinent to submit here that a **joint inspection** of the mining site was conducted on **10.03.2026** by the concerned authorities. That during the said inspection, the mining site was found to be **non-operational**.

Copies of the Photographs taken during the joint inspection have been annexed herewith as **ANNEXURE R-7**.

18. The Deponent submit that continuous monitoring of mining operations is being undertaken in the Ghaziabad district. That necessary directions have been issued to ensure that mining activities are carried out **strictly in accordance with statutory provisions and environmental safeguards**. That any violation detected is dealt with strictly as per law.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

19. That the Deponent most respectfully submits that Hon'ble tribunal may kindly take a lenient view regarding the show cause issued to the deponent as fresh action has been initiated pursuant to Hon'ble tribunal's observation and in light of new material that came on record. Even thereafter, the Deponent sincerely apologizes if any **unintentional act** of the Deponent led to the **impression of suppression of the material facts** before this Hon'ble tribunal.

20. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

[Handwritten Signature]
18/3/26

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 18th day of March, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 20 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



[Handwritten Signature]
18/3/26
DEPONENT

ATTESTED
No. 55 Date 18/3/2026
Certified that Documents Affidavits Shri. Saurabh Bhatt
Identified By Shri. [Signature]

P.K. SHARMA
Advocate
Notary Ghaziabad
(GOVT. OF INDIA)

18/3/2026.

कार्यालय जिलाधिकारी गाज़ियाबाद ANNEXURE- 1

(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या: 1057/ख०लि०-गाज़ि०/2025-26

दिनांक: 07.02.2026

श्री बिट्टू पुत्र श्री लीलू,
निवासी- ग्राम पचायरा, लोनी,
गाज़ियाबाद।

विषय:- O.A No. 724/2023 बिट्टू बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में प्रस्तुत की गयी वीडियो दिनांक 02.01.2026 समय 10:09 (रात्रि) के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आप द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A No. 724/2023 बिट्टू बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में आप द्वारा प्रस्तुत की गयी वीडियो दिनांक 02.01.2026 का संज्ञान लेते हुये मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 29.01.2026 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है :-

"24. These observations made by the District Mining Officer, Ghaziabad are patently wrong as from video clip recorded on 02.01.2026 at 10:09 p.m., it can be seen that illegal mining is being done through JCB from the river channel/stream of River Yamuna during night which is completely prohibited."

यहाँ अवगत करना है कि वीडियो दिनांक 02.01.2026 रात्रि का होने के कारण पुर्णतः स्पष्ट नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की आप द्वारा प्रस्तुत की गयी वीडियो दिनांक 02.01.2026 समय 10:09 (रात्रि) के सम्बंध में निम्नलिखित बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित करे :

1. क्या वीडियो दिनांक 02.01.2026 समय 10:09 (रात्रि) आप द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया है ?
2. क्या वीडियो दिनांक 02.01.2026 समय 10:09 (रात्रि) में यमुना नदी की जल धारा में खनन हो रहा था ?
3. आप द्वारा प्रस्तुत की गयी वीडियो दिनांक 02.01.2026 समय 10:09 (रात्रि) मुख्यता किस उद्देश्य/प्रकरण हेतु प्रस्तुत की गयी है ?


खान अधिकारी
गाज़ियाबाद।

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


खान अधिकारी
गाज़ियाबाद।

सेवा में

स्वयं अधिकारी
गाज़ियाबाद



महोदय

मेरे 02 जनवरी को शिकायत ग्राम का
अंधेरे स्व रात में लोडिंग के लिए की गयी थी
रात 10:09 PM को विद्युत मोटर पिला का नाथ
वकील पता: बद्रपुर गाज़ियाबाद ने बताया था कि
शुक्र शुक्र वाहन चालक है स्व स्वदान में बैठकर
माथा था उसका कहना है कि रात में स्वयं और
लोडिंग हो रही थी लेकिन जमुना की धारा में
स्वयं नहीं हो सका था विद्युत में माशीन गुड़ों से
लोडिंग कर रही है।

प्राची रात में स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए
शिकायत किया था

10/2/26

Bittu Sr. Litig



माशीन SA. वकील गांव बद्रपुर

8595756073


जांच आख्या






मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, जो दिनांक 06.02.2026 को मा0 एन0जी0टी0 की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है, के अनुपालन में दिनांक 08.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड-2 तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। मौके पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 01 पिट देखा गया, जिसमें पानी था। देखे गये पिट तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त योजित ओ0ए0 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दिनांक 02.01.2026 की विडियो में रात्रि 10.09 बजे पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन होना दिखाया गया है, में समानता प्रतीत होती है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा पानी आ जाने के उपरान्त भी पिट से खनन कार्य किया जाना परिलक्षित होता है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) का उल्लंघन है।

अतः बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड-2 तहसील लोनी के खनन पट्टाधारक मै0 न्य पेन्थर सिक्वोरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

जांच के दौरान मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।


खान अधिकारी
गाजियाबाद।



संख्या: 1127 / ख0अनु-गाजि0 / 2025-26

दिनांक: 06/03/2026

कारण बताओ नोटिस

न्यू पैन्थर सिक्वोरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड-2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी- सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषय:- बालू खनन पट्टा क्षेत्र पचायरा खण्ड-2 में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 724 / 2023 विट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 08.02.2026 को आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड-2 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। खान अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 08.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि - "निरीक्षण के दौरान खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। मौके पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 01 पिट देखा गया, जिसमें पानी था। देखे गये पिट तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त योजित ओ0ए0 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दिनांक 02.01.2026 की विडियों में रात्रि 10.09 बजे पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन होना दिखाया गया है, में समानता प्रतीत होती है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा पानी आ जाने के उपरान्त भी पिट से खनन कार्य किया जाना परिलक्षित होता है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(ज) का उल्लंघन है।"

उपरोक्त आख्यानानुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(ज) का उल्लंघन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम- 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू0 5,00,000/- का अर्थदण्ड कयों न अधिरोपित किया जाये के सम्बंध में अपना उत्तर/स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

1294

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्या: 1143/ख0अनु-गाजि0/2025-26

दिनांक: 16/03/2026

कारण बताओ नोटिस

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड-2)
प्रो० श्री बनी सिंह निवासी- सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषय:- बालू खनन पट्टा क्षेत्र पचायरा खण्ड-2 में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के नोटिस पत्र सं० 1127/ख0अनु0-गाजि0/2025-26 दिनांक 06.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम- 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू० 5,00,000/- का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाये के सम्बंध में अपना उत्तर/स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप द्वारा तद्दिनांक तक भी अपना उत्तर/स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम- 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू० 5,00,000/- का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाये के सम्बंध में अपना उत्तर/स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०), गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की VC के माध्यम से आहूत बैठक दिनांक 04.02.2026 का कार्यवृत्त :-

अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर रोकथाम के लिये जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक VC के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.2026 को आहूत की गयी, जिसमें जनपद गाजियाबाद में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुये :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री सौरभ भट्ट	अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०)	राजस्व
2	डा० सलोनी	सहायक वन संरक्षक	वन
3	श्री अजीत सिंह	उपजिलाधिकारी, मोदीनगर	राजस्व
4	श्री अरुण दीक्षित	उपजिलाधिकारी, सदर	राजस्व
5	श्री दीपक सिंह	उपजिलाधिकारी, लोनी	राजस्व
6	श्री सिद्धार्थ गौतम	सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी	पुलिस
7	श्री मनोज मिश्रा	परिवहन अधिकारी	परिवहन
8	श्री सौरभ चतुर्वेदी	खान अधिकारी	खनन

उपरोक्त आहूत बैठक के एजेन्डा बिन्दु निम्नवत् रहे :-

1. परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 116/इन्फ/2026-61 इन्फ/2021(11) दिनांक 27.01.2026 द्वारा अपंजीकृत मालवाहन, ओवरलोड, बिना नंबर प्लेट व हाई सिक्क्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे वाहनों के विरुद्ध दिनांक 01.02.2026 से 15.02.2026 तक विशेष चेकिंग अभियान के सम्बंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही।
2. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना "हरनन्दीपुरम" के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में तथा जनपद में मिट्टी खनन की रोकथाम हेतु सम्बंधित तहसीलदार एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सतर्क दृष्टि रखे जाने एवं तत्काल सूचित करने के सम्बंध में निर्देश।
3. वर्तमान में जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में 01 बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड-2 संचालित है। यह सुनिश्चित किया जाये कि यमुना नदी किनारे उपरोक्त क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर बालू खनन न होने पाये। तहसील स्तर पर राजस्व एवं पुलिस की टीम द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुये सूचित एवं कार्यवाही करने के सम्बंध में।
4. तहसील स्तर पर राजस्व एवं पुलिस की गठित टीम द्वारा अवैध खनन में सतर्क निगरानी रखते हुये सूचित किये जाने एवं कार्यवाही किये जाने तथा लम्बित जांचों की निष्कर्ष सहित आख्या प्रेषित करने के सम्बंध में।
5. अवैध खनन, अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण अंकुश लगाया जाये व जिला टास्क फोर्स के माध्यम से सघन चेकिंग किया जाना

सुनिश्चित किया जाये। अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग में संलिप्त वाहनों पर **Source Point** पर कठोरतम कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में।

6. अन्य प्रदेशों से उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर आई०एस०टी०पी० की अनिवार्यता व **Entry Point** पर निरन्तर सघन चेकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. जनपद में एम-चेक से निर्गत ई-नोटिस की प्रभावी समीक्षा परिवहन विभाग के साथ करवाते हुए निर्धारित बकाया धनराशि की शत प्रतिशत वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 04.02.2026 को सम्पन्न बैठक/विडियो कांफ्रेंस में कार्यबल (टास्क फोर्स) को अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग रोकने की कार्यवाही के सम्बंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

- (1) परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 116/इन्फ/2026-61 इन्फ/2021(11) दिनांक 27.01.2026 के अनुपालन में विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के सम्बंध में :- इस सम्बंध में निर्देशित किया गया कि खनन विभाग व परिवहन विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 116/इन्फ/2026-61 इन्फ/2021(11) दिनांक 27.01.2026 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपंजीकृत मालवाहन, ओवरलोड, बिना नंबर प्लेट व हाई सिक्वोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे वाहनों के विरुद्ध दिनांक 01.02.2026 से 15.02.2026 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

इस सम्बंध में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 02.02.2026 व 03.02.2026 को खनन विभाग व परिवहन विभाग द्वारा किये गये विशेष चेकिंग अभियान के अन्तर्गत अनियमित पाये गये 11 वाहनों पर चालान किये जाने की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही निरन्तर जारी है।

(कार्यवाही- परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद व खान अधिकारी गाजियाबाद)

- (2) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना "हरनन्दीपुरम" के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में मिट्टी खनन की रोकथाम के सम्बंध में :- इस सम्बंध में उपजिलाधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना "हरनन्दीपुरम" के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में मिट्टी खनन की रोकथाम के सम्बंध में सम्बंधित तहसीलदार एवं क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित किया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखी जाये एवं उक्त क्षेत्र में अवैध खनन का संज्ञान होने पर तत्काल टास्क फोर्स के सदस्यों को सूचित किया जाये। तदोपरान्त भी यदि उक्त क्षेत्र में अवैध खनन किया जाना पाया जाता है अथवा अवैध खनन के सम्बंध में सूचित नहीं किया जाता है तो सम्बंधित तहसीलदार एवं क्षेत्रीय लेखपाल का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी, सदर व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

- (3) साधारण मिट्टी/बालू के अवैध खनन के सम्बंध में :- उक्त के सम्बंध में समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने स्तर से समस्त लेखपालों को निर्देशित करें कि सम्बंधित लेखपाल अपने-अपने क्षेत्र में अवैध खनन की सतत एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेंगे तथा कहीं भी अवैध खनन पाये जाने अथवा अवैध खनन/परिवहन

की जानकारी होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों/टास्क फोर्स के सदस्यों को सूचित करेंगे, अन्यथा की दशा में अवैध खनन पाये जाने पर सम्बंधित लेखपाल का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

पूर्व पत्र सं० 419/ख०अनु०-गाजि०/25-26 दिनांक 25.04.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी तहसील स्तर से प्राप्त खनन की शिकायतों एवं आख्या बिना जांच एवं निष्कर्ष के प्रेषित की जा रही है, जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपजिलाधिकारी द्वारा आख्या सिर्फ अग्रसारित न की जाये अपितु इसकी जांच स्वयं अथवा राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कराने के उपरान्त पुष्टि होने पर मौके की फोटोग्राफ्स व निष्कर्ष सहित सुस्पष्ट आख्या प्रेषित की जाये।

- (4) अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग एवं अन्य प्रदेशों से बिना आई०एस०टी०पी० परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही के सम्बंध में :- इस सम्बंध में टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया कि बिना आई०एस०टी०पी० अन्य प्रदेशों से जनपद में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शासन की मंशा अनुसार सघन कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जाये, साथ ही अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग के सम्बंध में पूर्व में की गयी बैठकों में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- समस्त सदस्य टास्क फोर्स)

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्र सं०:- 1094/गाजियाबाद टास्क फोर्स/25-26

दिनांक: 23/02/2026

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को सादर सूचनाथ प्रेषित।
3. समस्त सदस्यों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये आगामी बैठक से पूर्व कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

